



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1216]  
No. 1216]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 8, 2007/आश्विन 16, 1929  
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2007/ASVINA 16, 1929

कृषि मंत्रालय  
(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2007

क्र.आ. 1720(अ).—संवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के, कृषि मंत्रालय को दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की संख्या का.आ. 1803(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित अधिसूचना में केन्द्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (छ) की मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को शामिल किया जाए, नामतः :-

“(ii) श्री श्यामल कुमार भट्टाचार्य, -- सदस्य”  
निदेशक माल्दिवकी,  
पश्चिम बंगाल सरकार,  
63, एन. एस. रोड, जेसोप बिल्डिंग,  
कोलकाता-700 001

[फा. सं. 33036/3/2005-मा. (टी-2)]

अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना को दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के सं. का.आ. 1803(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था। तदुपरांत दिनांक 25 अगस्त, 2006 के संख्या का.आ. 1359(अ) और दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2093(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(Department of Animal Husbandry, Diarrying  
and Fisheries)  
NOTIFICATION

New Delhi the 8th October, 2007

S.O. 1720(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture vide number S.O. 1803(E), dated the 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely :-

In the said notification, for item (ii) of serial number (g) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

“(ii) Shri Shyamal Kumar Bhattacharya, —Member”  
Director of Fisheries,  
Government of West Bengal,  
63, N. S. Road, Jessop Building,  
Kolkata-700 001

[F. No. 33036/3/2005-Fy. (T-2)]

AJAY BHATTACHARYA, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and vide No. S.O. 1803(E), dated the 22nd December, 2005, subsequently amended vide No. S.O. 1359(E), dated 25th August, 2006 and S.O. 2093(E), dated 13th December, 2006.